वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

आवश्यक सूचना

प्रिय करदाता बन्धु,

वाणिज्य कर विभाग आपका हृदय से आभारी है कि आपने एक सजग करदाता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उत्तराखण्ड राज्य और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। सर्वप्रथम आपको आगामी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

आप अवगत ही हैं कि कर प्राविधानों के सरलीकरण एवं विविध करों को समावेशित करते हुए सम्पूर्ण भारत में शीघ्र ही एक समान कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू की जा रही है। इस नई कर प्रणाली के अन्तर्गत उन व्यापारी बन्धुओं को नये पंजीयन की आवश्यकता नहीं है जो वाणिज्य कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद कर, मनोरंजन कर एवं सुख-साधन कर के अन्तर्गत पूर्व से पंजीकृत हैं। ऐसे समस्त करदाताओं के लिए अनिवार्य है कि वे पूर्व में जारी TIN के स्थान पर नया पंजीयन संख्या-GSTIN प्राप्त करने के लिए GST प्रणाली में अपना ऑनलाईन enrollment करायें। इसके लिए आपको निम्न प्रकार कार्यवाही करनी है-

1. वाणिज्य कर विभाग की विभागीय वैबसाईट http;//comtax.uk.gov.in पर जाकर अपने log-in account पर log-in करें। यहां पर उपलब्ध Entry Form में अनिवार्य रूप से आप अपना मोबाइल नम्बर एवं email id दर्ज कर अपलोड करें एवं उसका हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट अपने कर निर्धारण कार्यालय में जमा करवायें।
2. उपरोक्तानुसार updated, email id एवं mobile पर विभाग द्वारा आपको GST प्रणाली में enrollment हेतु provisional user id एवं password प्रेषित किया जायेगा जिसका प्रयोग कर आपको GST common portal (www.gst.gov.in) पर log in करके enrollment करना है।
3. GST common portal पर उक्त विवरण update करने के पश्चात ही आपको GSTIN (GST प्रणाली में पंजीयन संख्या) प्राप्त होगा जिसे आप भविष्य में GST प्रणाली के अंतर्गत कारोबार हेतु प्रयोग कर सकेगें।
4. कृपया ध्यान रखें कि उत्तराखण्ड राज्य के करदाताओं के लिए GST enrollment की अवधि दिनांक 16 दिसम्बर से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक नियत की गई है। अत: आपसे अपेक्षित है कि इस तिथि से पूर्व अपने contact details विभागीय बेबसाईट पर अनिवार्य रूप से update कर दें।
5. यदि आप उक्त अवधि में GST common portal पर enrollment नही करते हैं तो आपका व्यापार GST लागू होने के बाद अवैध माना जाएगा और आप नई कर प्रणाली के अन्तर्गत अपना पंजीयन/व्यवसाय जारी नहीं रख पायेंगे।
6. किसी भी प्रकार की सहायता हेतु वाणिज्य कर विभाग की हैल्पलाईन नं0 (टोल फ्री) 1800-274-2277 पर सम्पर्क करें।

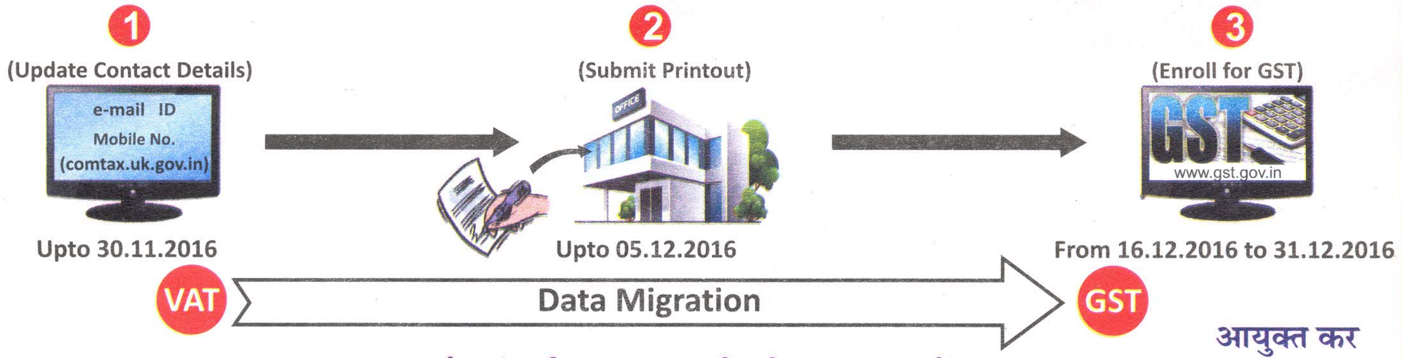

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

नूतन वर्ष एवं नवीन कर प्रणाली की शुभकामनायें

Pritika Printers, Dehradun: 0135-2970051, 9927300535